**भारत सरकार**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**

**पशुपालन और डेयरी विभाग**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-376**

**दिनांक 02 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न**

**दूध उत्पादक किसान**

**376.श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत कुछ वर्षों में दूध की कीमतों में गिरावट और उत्पाद शुल्क में लगातार वृद्धि के कारण दूध का व्यवसाय किसानों के लिए काफी घाटे का सौदा साबित हो रहा है;

(ख) क्या एक लीटर दूध के उत्पादन की लागत 27 रुपये है जबकि दूध उत्पादक किसान को एक लीटर दूध के लिए केवल 18 से 22 रुपये ही मिलते हैं और गायें शुरू में अच्छी मात्रा में दूध देती हैं लेकिन कुछ महीनों बाद उनका दूध उत्पादन कम हो जाता है और 6 या 7 साल बाद वे दूध देना पूरी तरह बंद कर देती हैं;

(ग) क्या ऐसी स्थिति में जब गोहत्या पर प्रतिबंध के कारण, किसान बांझ गायों को बेचने और उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, उन्हें आर्थिक कठिनाई हो रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने गन्ना और अन्य फसलों के लिए किसानों को प्रदान की जा रही कीमतों की तर्ज पर दूध उत्पादकों को गारंटीकृत मूल्य प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**

**(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

(क) और (ख) पिछले पांच वर्षों में दूध की औसत कीमत में कोई कमी नहीं आई है और यह लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा, तरल दूध को माल और सेवा कर (GST)/उत्पाद शुल्क से छूट मिली हुई है।

| **औसत दूध खरीद मूल्य* (रु./लीटर)** | | |
|---|---|---|
| वर्ष | भैंस का दूध (वसा-6% और एसएनएफ 9%) | गाय का दूध (वसा- 3.5% और एसएनएफ 8.5%) |
| 2021-22 | 39.8 | 29.4 |
| 2022-23 | 44.3 | 33.6 |
| 2023-24 | 46.5 | 35.2 |
| 2024-25 | 47.5 | 35.5 |
| 2025-26 | 49.2 | 36.7 |
| *स्रोत: दुग्ध संघ/परिसंघ<br>कीमत में राज्य सरकारों की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है | | |

दुग्ध स्रवण काल के दौरान, दुग्ध स्रवण के 4-5 महीने बाद दूध का उत्पादन सामान्यत: कम हो जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके अलावा, भारत में औसतन, गाय-भैंसें 10-12 साल की उम्र तक दूध देती हैं।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के तहत, पशुओं के संरक्षण के मामले में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है।

(घ) पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) देश में दूध की कीमतों का नियमन नहीं करता है। दूध की कीमतें सहकारी समितियों और निजी डेयरियां अपनी उत्पादन लागत और बाजार की शक्तियों के आधार पर तय करती हैं। हालांकि, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) राज्य सरकार के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए देश भर में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

i. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)
ii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)
iii. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (SDCFPO) को सहायता।
iv. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)
v. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)
vi. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)

ये योजनाएं बोवाईनों की दूध की उत्पादकता को बेहतर बनाने, डेयरी सहकारी समितियों का नेटवर्क बढ़ाने, डेयरी अवसरंचना को सुदृढ़ करने, कार्यशील पूंजी की ज़रूरत, आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने और पशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं देने में मदद कर रही हैं। ये पहलें दूध उत्पादन की लागत कम करने और डेयरी फार्मिंग से दूध उत्पादक की आय को बढ़ाने में भी मदद करती हैं।

*****